

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/55/2012-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 01 अगस्त, 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से सुश्री ए. मोना श्रीनिवास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एचवाई:2006) की हरियाणा संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली खण्ड) में अंतर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को चार वर्षों के स्वीकृत कार्यकाल के बाद आगे एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 11.07.2018 तक अनुमोदन प्रदान करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)